



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

पेटेंट अधिकार और जनस्वास्थ्य:
भारत के विकल्प क्या हैं?

पेटेंट अधिकार और जनस्वास्थ्य: भारत के विकल्प क्या हैं?

संदर्भ

- भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों (IPRs) के प्रवर्तन और अपने जनस्वास्थ्य दायित्वों की पूर्ति के बीच एक महत्वपूर्ण बिंदु पर है।

भारत में जनस्वास्थ्य और पेटेंट अधिकार

- जनस्वास्थ्य दायित्व स्तरीय औषधियों और प्रौद्योगिकियों तक समान पहुंच की मांग करते हैं, जबकि पेटेंट नवाचार को बढ़ावा देने तथा अनुसंधान में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बनाए गए हैं।
- यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि बौद्धिक संपदा (IP) कानून नवाचार और मानवता दोनों की सेवा करें, क्योंकि भारत (भारत) 'ग्लोबल साउथ की फार्मेसी' के रूप में कार्य करता है।

संवैधानिक और संस्थागत ढाँचा

- संविधान का अनुच्छेद 21:** यह जीवन के अधिकार की गारंटी देता है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने लगातार स्वास्थ्य के अधिकार को शामिल करने के रूप में व्याख्यायित किया है।
- विश्व व्यापार संगठन (WTO):** भारत WTO का सदस्य है और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार-संबंधी पहलुओं (TRIPS) समझौते से बंधा हुआ है।
 - यह बौद्धिक संपदा की सुरक्षा को अनिवार्य करता है और लचीलापन प्रदान करता है, जैसे कि सदस्य राष्ट्रों को जनस्वास्थ्य की रक्षा करने एवं सभी के लिए दवाओं तक पहुंच को बढ़ावा देने का अधिकार है (TRIPS और जनस्वास्थ्य पर दोहा घोषणा, 2001)।
- पेटेंट अधिनियम, 1970** और इसका 2005 का संशोधन भारत की पेटेंट प्रणाली के लिए कानूनी आधार प्रदान करता है।
 - यह वास्तविक आविष्कारों की रक्षा करते हुए एकाधिकार अधिकारों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सुरक्षा उपायों को समाहित करता है।

TRIPS लचीलापन और भारत का रणनीतिक उपयोग

- भारत की पेटेंट व्यवस्था स्वास्थ्य समानता को बढ़ावा देने के लिए TRIPS-अनुपालन लचीलेपन का उपयोग करती है। इनमें शामिल हैं:
 - समानांतर आयात:** विदेशों में कम कीमत पर विपणन किए गए पेटेंट उत्पादों का आयात करने की अनुमति।
 - निर्यात हेतु अनिवार्य लाइसेंस (धारा 92A):** अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता वाले देशों को निर्यात के लिए पेटेंट दवाओं के उत्पादन की अनुमति।
 - मूल्य नियंत्रण तंत्र:** राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) के माध्यम से वहनीयता सुनिश्चित करना।
- इन उपायों ने भारत को विकासशील देशों के लिए एक मॉडल के रूप में मान्यता दिलाई है, जो TRIPS दायित्वों और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन स्थापित करता है।

भारत में जनस्वास्थ्य और पेटेंट अधिकारों से संबंधित चिंताएँ एवं मुद्दे

- एवरग्रीनिंग चुनौती:** औषधि और कृषि क्षेत्रों में एवरग्रीनिंग आवश्यक वस्तुओं तक समान पहुंच को कमजोर करती है।

- ग्लोबल नॉर्थ की फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ प्रायः पेटेंट को 'एवरग्रीन' करने का प्रयास करती हैं, जैसे कि नए साल्ट, फॉर्मुलेशन या डोज़ फॉर्म जैसी मामूली संशोधन करना, जिनमें कोई महत्वपूर्ण चिकित्सीय प्रगति नहीं होती।
- यह प्रतिस्पर्धा को सीमित करता है, जेनेरिक दवाओं के प्रवेश में देरी करता है और दवा की कीमतें बढ़ाता है।
- **नवाचार और पहुंच के बीच संघर्ष:**
 - नवप्रवर्तकों के लिए, पेटेंट बौद्धिक प्रयास की मान्यता और R&D निवेश की वसूली का साधन है।
 - समाज के लिए, अत्यधिक एकाधिकार संरक्षण आवश्यक दवाओं को अप्राप्य बना सकता है, विशेषकर निम्न-आय वर्गों के लिए।
- **पेटेंट दवाओं की उच्च लागत:** भारत में पेटेंट दवाएँ प्रायः जेनेरिक विकल्पों से दस से तीस गुना अधिक महँगी होती हैं।
 - पेटेंट एकाधिकार सीधे वहनीयता और पहुंच को प्रभावित करते हैं, विशेषतः कैंसर तथा हेपेटाइटिस जैसी दीर्घकालिक एवं जीवन-घातक बीमारियों के लिए।
 - परिणामस्वरूप, लाखों भारतीय प्रत्येक वर्ष उच्च दवा लागत के कारण विनाशकारी स्वास्थ्य व्यय में धकेले जाते हैं।
- **TRIPS लचीलेपन का सीमित उपयोग:** यद्यपि TRIPS राष्ट्रों को अनिवार्य लाइसेंसिंग, सरकारी उपयोग प्रावधान और समानांतर आयात जैसे लचीलेपन अपनाने की अनुमति देता है, भारत का इन उपकरणों का उपयोग असंगत एवं सतर्क रहा है।
 - 2012 से अब तक केवल एक अनिवार्य लाइसेंस दिया गया है, जो मुख्यतः राजनीतिक दबाव और विकसित देशों से व्यापारिक प्रतिशोध के भय के कारण था।
- **वैश्विक व्यापार भागीदारों का दबाव:** भारत विकसित राष्ट्रों, विशेषकर अमेरिका और यूरोपीय संघ से IP प्रवर्तन को सुदृढ़ करने और घेरलू सुरक्षा उपायों व अनिवार्य लाइसेंसिंग को कमजोर करने के लिए महत्वपूर्ण कूटनीतिक एवं व्यापारिक दबाव का सामना करता है।
 - अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि की 'प्राथमिक निगरानी सूची' में भारत का समावेश इसके पेटेंट अभ्यासों की निरंतर जांच को दर्शाता है।
 - ऐसे बाहरी दबाव भारत के जनस्वास्थ्य और सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप IP नीतियाँ बनाने के संप्रभु अधिकार को खतरे में डालते हैं।
- **स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की कमजोरियाँ:** इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दवाओं का अपर्याप्त वितरण, निजी स्वास्थ्य सेवा पर निर्भरता (जहाँ दवा की कीमतें अनियंत्रित हैं), और पेटेंट या जीवन-रक्षक दवाओं की सीमित सार्वजनिक खरीद शामिल है।
- **R&D और स्वदेशी नवाचार की कमी:** घेरलू नवाचार अपर्याप्त रूप से वित्तपोषित है, क्योंकि भारत R&D पर अपने GDP का 1% से भी कम व्यय करता है, जबकि विकसित देशों में यह 2.5% से अधिक है।
- **प्रभुत्व के दुरुपयोग:** कुछ पेटेंटधारक प्रतिस्पर्धा-विरोधी व्यवहार में संलग्न होते हैं, जैसे अत्यधिक लाइसेंसिंग शुल्क लगाना, आपूर्ति श्रृंखलाओं को सीमित करना और जेनेरिक प्रवेश को रोकने के लिए 'पेटेंट क्लस्टरिंग' करना।
 - ऐसी प्रथाएँ प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का उल्लंघन कर सकती हैं, लेकिन प्रवर्तन सीमित है।

भारत में जनस्वास्थ्य और पेटेंट अधिकारों के बीच संतुलन

- **एवरग्रीनिंग के विरुद्ध सुरक्षा उपाय:** पेटेंट अधिनियम की धारा 3(d) ज्ञात पदार्थों के नए रूपों पर पेटेंट को तब तक प्रतिबंधित करती है जब तक वे चिकित्सीय प्रभावकारिता में वृद्धि नहीं करते।

- यह फार्मास्यूटिकल कंपनियों को वर्तमान दवाओं में तुच्छ संशोधनों के माध्यम से पेटेंट को 'एवरग्रीन' कर एकाधिकार बढ़ाने से रोकता है।
- **अनिवार्य लाइसेंसिंग:** सरकार या कोई भी इच्छुक पक्ष (पेटेंट अधिनियम की धारा 84 और 92A के अंतर्गत) पेटेंटधारक की सहमति के बिना पेटेंट दवा का उत्पादन करने हेतु अनिवार्य लाइसेंस प्राप्त कर सकता है यदि:
 - दवा उचित मूल्य पर उपलब्ध नहीं है,
 - पेटेंटधारक घेरलू मांग को पूरा करने में विफल रहा है, या
 - यह जनस्वास्थ्य या अपर्याप्त विनिर्माण क्षमता वाले देशों को नियांत के लिए आवश्यक है।
- **जनस्वास्थ्य की रक्षा:** भारत का पेटेंट अधिनियम केंद्र और राज्य सरकारों को जनस्वास्थ्य की रक्षा हेतु कई शक्तियाँ प्रदान करता है:
 - **धारा 47(4):** सरकार को सार्वजनिक संस्थानों के लिए पेटेंट आविष्कारों का उपयोग या आयात करने की अनुमति देता है, बिना पेटेंटधारक की सहमति के।
 - **धारा 66:** यदि कोई पेटेंट 'राज्य के लिए हानिकारक' या 'जनता के लिए प्रतिकूल' है, तो उसके निरसन की अनुमति देता है।
 - **धारा 102:** सरकार को सार्वजनिक हित में पेटेंट अधिग्रहण का अधिकार देता है, जिसमें पेटेंटधारक को उचित मुआवजा दिया जाता है।
- **प्रतिस्पर्धा कानून के माध्यम से संतुलन:** प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 पेटेंट अधिनियम का पूरक तंत्र है।
 - यह पेटेंटधारकों द्वारा प्रभुत्व के दुरुपयोग और प्रतिस्पर्धा-विरोधी प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है।
 - भारत नवाचार और वहनीयता दोनों को बढ़ावा देता है, प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों को पेटेंट कानून के साथ एकीकृत करके।

सतत संतुलन हेतु नीतिगत अनुशंसाएँ

- जनस्वास्थ्य उद्देश्यों को समाहित करते हुए एक राष्ट्रीय पेटेंट नीति का निर्माण करें।
- राज्य-वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास (R&D) तथा शैक्षणिक साझेदारियों के माध्यम से स्वदेशी नवाचार को प्रोत्साहित करें।
- TRIPS लचीलेपन के उपयोग को बढ़ाएँ, जिसमें जनहित में अनिवार्य लाइसेंसिंग भी शामिल हो।
- पेटेंट कार्यालय, औषधि नियंत्रक और प्रतिस्पर्धा आयोग के बीच सहयोग को सुदृढ़ करें।
- औषधि वितरण प्रणालियों में सुधार करें, यह सुनिश्चित करते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक पेटेंटेड और जेनेरिक दवाओं तक पहुँच उपलब्ध हो।
 - इन उपायों से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि बौद्धिक संपदा अधिकार भारत की संवैधानिक स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी प्रतिबद्धता के साथ सह-अस्तित्व में रह सकें।

Source: IE

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में पेटेंट संरक्षण और जनस्वास्थ्य के अधिकार के बीच संतुलन स्थापित करना एक सतत चुनौती बनी हुई है। बौद्धिक संपदा अधिकारों और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की आवश्यकता के मध्य संतुलन की परीक्षा कीजिए।